न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) दांतारामगढ जिला सीकर

आवेदन 13 /2019

1. प्रभातीदेवी बेवा प्रभूदयाल
2. महावीर प्रसाद पुत्र प्रभूदयाल
3. महेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल

समस्त जाति मीणा निवासियान ग्राम ठेहठ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम ठेहट तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—अप्रार्थी / अनावेदकगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिंनाक :— 10.04..2019

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार से है :—

वह कि प्रार्थी एवम वाद मे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 कब्जे काश्त एवम खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.13है0, खसरा नं0 356 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 357 रकबा 0.30है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.48है0 ग्राम ठेहट प0ह0 रूपगढ की तन में अवस्थित है।भूमि ख0नं0 355 रकबा 0.13 है0 से अप्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य आये दिन लडाई झगडा होता रहता है।अतः अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जावे

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर सें वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ(सीकर)

Scanned by CamScanner

32

बहस एकपक्षीय सुनी गई वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के पिता के समय सें सन् 1986 सें विधुत कनेक्शन आज तक चल रहा है, अप्रार्थी के पूर्वज वर्षों सें इन मकानों में निवास कर रहे है, और अगर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी रहती है तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

बहस पर मनन किया गया और दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससें प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अगर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहती है तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हितों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा।

अतः पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करते हुए प्रार्थी का आवेदन अं0 धारा 212 एलआरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट्ट्रेक), दांतारामगढ

Scanned by CamScanner